यह योजना 16–9–04 सायं 5:00 बजे से प्रारम्भ हुई है और 16–9–05 सायं 4:59 बजे तक के लिए है। यदि खतौनी में दर्ज किसी कृषक की मृत्यु होती है तो उसे 1,00,000/– (एक लाख रू0) की सहायता राषि आई0सी0आई0सी0आई0 लोमबार्ड जनरल इन्श्योंरेन्स कम्पनी लि0 द्वारा दावा स्वीकृत करने पर दी जाती है।

बीमा का आवरण अधिकतम रूपये 1.00 लाख की सीमा तक होगा तथा बीमा धनराषि मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति के आधार पर निर्धारित होगी।

इस योजना से अच्दादित कृषक को किसी अन्य योजना में मिलने वाले लाभ का प्रभाव इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराषि पर नही पड़ेगा।

योजना का क्षेत्र एवं पात्रता

1– इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति केवल राजस्व अभिलेख ''खतौनी'' में दर्ज खातेदार / सह खातेदार ही होगें।

2– योजना के अन्तर्गत खातेदार की आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष होगी, परन्तु बीमा आवरण की अवधि में 12 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर खातेदार कृषक भी योजना के अन्तर्गत पात्रता की परिधि में आयेगे। इसी प्रकार बीमा आवरण अवधि में 70 वर्ष आयु पूर्ण हो जाने पर भी खातेदार कृषक पात्रता श्रेणी में माने जायेगें।

3– कृषक खातेदार इस योजना के अन्तर्गत किसी दुर्घटना के कारण अप्राकृतिक मृत्यु जैसे सॉप काटने, नदी, तालाब, पोखर व कुंए आदि में डूबने, मकान की छत, पेड आदि से गिरने से मृत्यु, वाहन दर्घटना के कारण मृत्यु, डकैती, दंगा, मारपीट आदि के कारण मृत्यु होने के कारण आच्छादित होगें।

4– खातेदार कृषक उपर्युक्तानुसार किसी दुर्घटना के फलस्वरूप हुई शारीरिक क्षति हो जाने पर बीमा योजना के अन्तर्गत निम्नप्रकार दी गयी व्यवस्थानुसार लाभान्वित होगें।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

क्रम संख्या	दुर्घटना के कारण मृत्यु / शारीरिक क्षति	बीमा देय धनराषि
1	2	3
1–	मृत्यु एवं पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति	100%
2–	दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों ऑखों की क्षति	100%
3–	एक हाथ तथा एक पैर की क्षति	100%
4–	एक हाथ या एक पैर या एक ऑख की क्षति	50%
5–	हाथ अथवा पैर अथवा दोनों की चार अंगुलियों के कट जाने पर	40%

दावा निपटाने तथा निष्पादन की प्रक्रियाः– कृषक की मृत्यु अथवा दुर्धटना होने पर दावा उसके वारिसों द्वारा अथवा कृषक द्वारा 15 दिन में लेखपाल के पास पहुॅच जाना चाहिए। अगले 15 दिन में लेखपाल द्वारा अपनी संस्तुति उप जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी और उसी अवधि में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की आख्या भी अंकित करायी जायेगी। कृषक के खातेदार होने की पुष्टि में खतौनी प्रमाण पत्र के रूप में संलग्न की जायेगी। मृत्यु की दषा में मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र व पोष्टमार्टम एवं पंचायतनामा, एफ0आई0आर0 रिपोर्ट भी संलग्न की जायेगी। उप जिलाधिकारी दावा निपटान अधिकारी होगें और वह दावा स्वीकृत करके जिलाधिकारी को प्रेषित करेगें। जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त दावों को आई0सी0आई0सी0आई0 लोमबार्ड जनरल इन्ष्योरेन्स कम्पनी को प्रेंषित की जायेगी। बीमा कम्पनी द्वारा देय बीमा धनराषि का भुगतान सम्बन्धित एक माह के अन्दर किया जायेगा।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com